पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 322/2017 1449 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सासाराम।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
रोहतास।

पटना, दिनांक– 20/11/18

विषयः– जिला पदाधिकारी, महोदय द्वारा नेहरू पार्क सासाराम के सौन्दर्यीकरण हेतु संशोधित प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई करने हेतु दिये गये निदेश के संबंध में।

प्रसंगः– (1)जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का पत्रांक–680/वि0, सासाराम, दिनांक–09.10.2018
(2)कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम का पत्रांक–3701/न0पं0, सासाराम, दिनांक–24.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संख्या–1 के संबंध में कहना है कि निदेशक, डी0आर0डी0ए0, रोहतास, सासाराम एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी सासाराम ने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम को पूर्व में तैयार किये गये प्राक्कलन/प्रकाशित निविदा को रद्द करते हुए पुनः संशोधित प्राक्कलन तैयार कराकर नेहरू पार्क, सासाराम का सौन्दर्यीकरण का कार्य नियमानुसार कराने का आदेश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम ने प्रासंगिक पत्र संख्या–2 द्वारा सूचित किया है कि उक्त पार्क के कार्य हेतु दिनांक–25.08.2018 को संवेदक के साथ एकरारनामा हो चुका है।

उपर्युक्त आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम को निदेश दिया जाता है कि उक्त कमिटी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एकरारनामा के दर/उक्त अवधि के अनुसूचित दर पर प्राक्कलन एवं उसका तुलनात्मक विवरणी तैयार कर अपने मंतव्य के साथ जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव समर्पित किया जाय ताकि इस संबंध में सम्यक् निर्णय लिया जा सके।

यहाँ यह भी उल्लखनीय है कि उक्त प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत हो।

विश्वासभाजन
20/11/18
अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\V N File 2014\Rohtas\Rohtas T.S.docx